


राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : अगस्त 04, 2017

सं. एफ.12(60)एफ.डी./टैक्स/2017-68:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(60)एफ.डी./टैक्स/2017-68 दिनांक 19.07.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

राज्यपाल के आदेश से,


(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना

जयपुर, दिनांक: 19 जुलाई, 2017

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 96 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इसके द्वारा राजस्थान अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण गठित करती है। उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा।

यह उस तारीख को प्रवृत्त होगी जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

[सं. एफ.12(60)एफ.डी./टैक्स/2017-68]

राज्यपाल के आदेश से,


ह0

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सी.डी. में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का आज के असाधारण राजपत्र के भाग-4 (ग) में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस अधिसूचना की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के आरुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर को भेजें। कृपया सी.डी. में उपलब्ध सॉफ्ट कॉपी का संलग्न हस्ताक्षरित अधिसूचना से मिलान कर प्रकाशन करावें।

2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदया।
3. सचिव, भारत सरकार एवं सचिव, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल सचिवालय, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव